संख्या-483/2018/2342/22-2-2017-17(634)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 05 जून, 2018**

विषय केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हुकुम सिंह पुत्र श्री कल्यान सिंह, निवासी जनपद-महोबा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32403/प्रोबेशन-3 (एम-22-06-2017) दिनांक-07-09-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 07-09-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी हुकुम सिंह पुत्र श्री कल्यान सिंह, निवासी-मवइया, थाना-अजनर, जनपद-महोबा का रहने वाला है। बन्दी ने जमीन के विवाद में दिनांक 25.10.2000 को समय लगभग 12:00 बजे से 02:00 बजे के मध्य 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, फरसा, कुल्हाड़ी व तमंचा से जगत सिंह पत्नी मन्नू एवं पुत्री अनीता सहित कुल 03 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-16/2001 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 120 बी0 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोबा के आदेश दिनांक 05.09.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। दिनांक 25.03.2017 तक बन्दी द्वारा दिनांक 20.03.2017 तक 16 वर्ष 04 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 02 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने जमीन के विवाद में दिनांक 25.10.2000 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, फरसा, कुल्हाड़ी व तमंचा से 03 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 54 वर्ष लगभग है। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हुकुम सिंह पुत्र श्री कल्यान सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हुकुम सिंह (बन्दी संख्या-8099/2002) पुत्र श्री कल्यान सिंह, निवासी जनपद-महोबा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-483/2018/2342(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद महोबा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-483/2018/2342/22-2-2017-17(634)/2017

दिनांक 05 जून, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हुकुम सिंह (बन्दी संख्या-8099/2002) पुत्र श्री कल्यान सिंह, निवासी-मवइया, थाना-अजनर, जनपद-महोबा का निवासी है। बन्दी ने जमीन के विवाद में दिनांक 25.10.2000 को समय लगभग 12:00 बजे से 02:00 बजे के मध्य 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, फरसा, कुल्हाड़ी व तमंचा से जगत सिंह पत्नी मन्नू एवं पुत्री अनीता सहित कुल 03 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-16/2001 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 120 बी0 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोबा के आदेश दिनांक 05.09.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। दिनांक 25.03.2017 तक बन्दी द्वारा दिनांक 20.03.2017 तक 16 वर्ष 04 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 02 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी**,** पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने जमीन के विवाद में दिनांक 25.10.2000 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, फरसा, कुल्हाड़ी व तमंचा से 03 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 54 वर्ष लगभग है। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने**,** जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी**,** पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता**,** जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हुकुम सिंह पुत्र श्री कल्यान सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in